

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,  
1-राज विहार चकराता रोड, देहरादून।

पत्रांक 676 नि0सु0/लेखा/ए0सी0पी0 /2013 दिनांक

01 अक्टूबर 2013

1. मण्डलीय प्रबन्धक, (संचालन/तकनीकी)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम,  
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र।


2. समस्त सहायक महाप्रबन्धक,

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, ग्रामीण/ब0/पर्वतीय/ऋषिकेश /हरिद्वार/ कोटद्वार/  
रूडकी/आई.एस.बी.टी.देहरादून/दिल्ली/अल्मोडा/रानीखेत/भैवाली/काठगोदाम/  
हल्द्वानी/काशीपुर/रामनगर/रूद्रपुर/पिथौरागढ़/लोहाघाट/टनकपुर डिपो।

विषय- राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-589/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 01 जुलाई 2013 जारी करते हुए शासनादेश के प्रस्तर-3 में व्यवस्था दी गई है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 (यथा संशोधित) में निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (ओ0वि0अनु0-1) से निर्गत शासनादेश संख्या-2225/vii-1/60-60-उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर-1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर यथावत लागू किया गया है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 214/एच0क्यू9/ई.एस.टी./।।।-सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ACP)/2011 दिनांक 14 अगस्त 2013 द्वारा अपर सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को सम्बन्धित शासनादेश, निर्गत किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतएव शासनादेश संख्या-589/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 01 जुलाई 2013, की छाया प्रति, प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस प्रतिबन्ध के अधीन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि शासन से अन्यथा/विपरित आदेश प्राप्त होते हैं तो कार्मिकों को अनुमन्य ए0सी0पी0 के लाभ तदनुसार समायोजित कर लिये जायेंगे।  
संलग्न-यथोपरि।

  
(चन्द्र शेखर भट्ट)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महाप्रबन्धक (प्रशासन) निगम मुख्यालय।
2. महाप्रबन्धक (संचालन/तकनीकी/कार्मिक) निगम मुख्यालय।
3. उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) निगम मुख्यालय।
4. सहायक महाप्रबन्धक, (कार्मिक) निगम मुख्यालय।
5. सहायक लेखाधिकारी (आडिट) निगम मुख्यालय।

  
प्रबन्ध निदेशक